—: निर्णय :—

बाद वादीगण प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय कॉटर क्लेम प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी नम्बर 4 व 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के कॉटर क्लेम का जवाब नही देना तथा काउटर क्लेम को स्वीकार किया जाना अंकित किया गया।

प्रकरण में दिनॉक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तथा तहसीलदार रामगंजमण्डी से वादगत भूमि वाके माल अरन्याकलॉ की भूमि खसरा नम्बर 93, 94 , 122,123, 124 ,180 ,229 ,181 ,230 ,306 ,307 ,332 ,343 ,किता 13 रकबा 4.48 हैक्टर व ,खसरा नम्बर 125 ,126,किता 2 रकबा 1.62 हैक्टर को वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 52 के मध्य होल्डिंग विभाजन करने का आदेश जारी किया गया। तहसीलदार रामगंजमण्डी के पत्रॉक 3888 दिनॉक 28.8.2018 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव के मद नम्बर 1 में रामकरण पुत्र दल्ला हिस्सा 1/7 का नाम छूटा हुआ है तथा मद नम्बर 4 में लदूर व गंदोर को रघुनाथ की पुत्री अंकित किया हुआ है ज बकि ये पुत्र है। बकाया विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण के द्वारा प्रस्तुत उज्रदारी स्वीकार की जाती है तथा मद नम्बर 1 में रामकरण जो प्रतिवादी नम्बर 20 है को दल्ला के वारसिान के साथ अंकित किया जाता है.। तथा प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 को पुत्री के बजाय पुत्र अंकित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

बाद बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण , तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके माल मोजा अरनिया कलॉ खसरा नम्बर 93, 94 , 122,123, 124 ,180 ,229 ,181 ,230 ,306 ,307 ,332 ,343 ,किता 13 रकबा 4.48 हैक्टर व ,खसरा नम्बर 125 ,126,किता 2 रकबा 1.62 हैक्टर को वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 52 के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

क0सं0	नम पक्षकार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा है0 में
1	छीतर पुत्र रतनी पुत्री बिरधा 2/3 अर्जुन बालचन्द नैनालाल छोटूलाल हेमराज नानजी पुत्र कमलाबाई , भरोसबाई पुत्रियॉ सोहनबाई पत्नी देवकरण जाति गूजर सा0 देह 1/3	122	0.60
		123	0.02
		124	0.93
		किता 3	1.55
2	[illegible]मल , गोपाल, पुत्र संतोषबाई समजबाई पुत्रियॉ, घॉसी हि0 1/3 लदूर, गंदोर पुत्र , धौलीबाई पुत्री रघुनाथ हि0 1/3 मदन पुत्र भंवरिया हि0 1/3 जाति गूजर सा0 देह	229	0.12
		230	0.02
		306	0.83
		307	0.23
		343	0.04
		किता 5	1.24

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

3	राजेश ,दुर्गाशंकर पुत्र धन्नीबाई, भूलीबाई मुलकराजबाई पुत्रियॉ कंचनबाई पत्नी देवीलाल हि0 1/7 ,चतुर्भुज ,केसरीलाल विष्णु, पुत्र कजोड़ी रामजानकीबाई , कालीबाई ,छोटीबाई पुत्रियॉ , मन्नीबाई पत्नी जगदीश हि0 1/7 ,छौटूलाल , नन्दकिशौर ,फूलचन्द,दानमल , रमेश, नैनालाल , पुत्रान मन्नीबाई , धन्नीबाई, अज्जनबाई पुत्रियॉ देवलाल हि0 1/7 बालचन्द ,कन्हैयालाल , चौथमल,किशन, पुत्रान संतोषबाई ,प्रेमबाई, कालीबाई पुत्रियॉ धन्नालाल हि0 1/7 फूली, गौन्या पुत्री दल्ला हि0 2/7 रामकरण पुत्र दल्ला हि0 1/7 जाति गूजर सा0 देह	125	0.02
		126	1.65
		332	0.12
		किता 3	**1.79**
4	भैरूलाल ,राधाकिशन,घनश्याम पुत्र किशोरबाई, देवबाई, पुत्री नरूकाबाई पत्नी कान्हा हि0 1/2 , श्रीकिशन पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा0देह	93	0.01
		94	0.25
		180	0.03
		181	1.28
		किता 4	**1.57**

उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली बांद तामील तकमील व तरमीम नम्बर से कम की जावे। तथा निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेखभण्डार हो।

निर्णय आज दिनॉक 18.09.2018 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner